कार्यालय छावनी परिषद, लन्ढौर

कार्यालय आदेश

संख्या : 69 | दिनांक: 26 अप्रैल, 2021

संदर्भ सचिव उत्तराखंड शासन शासनादेश संख्या: 324/xxxi(15)G/2020-04(सा0)/2021 दिनांक 24.04.2021 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के रोकथाम हेतु दिनांक 26, 27 एवं 28 अप्रैल 2021 को प्रदेश के सभी कार्यालय बंद रखे जाने का आदेश हुआ है।

अतः दिनांक 26.04.2021 को कार्यालय छावनी परिषद, लन्ढौर में होने वाली बोली को अग्रीम आदेशों तक स्थगित की जाती है।

मुख्यअधिशासीअधिकारी
छावनी परिषद, लन्ढौर

प्रतिलिपि:

1. नोटिस बोर्ड, छावनी परिषद लन्ढौर।
2. वैबसाइट, छावनी परिषद लन्ढौर।
3. एस0डी0एम0 मसूरी - सूचनार्थ।
4. थाना प्रभारी मसूरी - सूचनार्थ।

संख्या–324/xxxi(15)G/2020–04(सा0)/2021

प्रेषक,

डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ ।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग **देहरादूनः दिनांक 25 अप्रैल, 2021**

विषयः– कोरोना वायरस (COVID-19) रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि शासन द्वारा शासनादेश संख्या–323/xxxi(15)G/2020–04(सा0)/2021 दिनांक 22 अप्रैल, 2021 के द्वारा शासकीय कार्यालयों में कोरोना वायरस **(COVID-19)** के बढ़ते हुए संकमण की रोकथाम हेतु प्रदेश के समस्त कार्यालयों को **दिनांक 23, 24 एवं 25 अप्रैल, 2021 तीन दिन शुकवार, शनिवार एवं रविवार** को बंद रखे जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे।

2– शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त आदेशों में विस्तार करते हुए **दिनांक 26, 27 एवं 28 अप्रैल, 2021 (सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार)** को प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय बंद रखे जायेंगे। समस्त अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे तथा अपने मोबाईल स्विच आन रखेंगे एवं किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर उनको कार्यालय बुलाया जा सकेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव

संख्या– /xxxi(15)G/2020–04(सा0)/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्रिगण महोदय के संज्ञानार्थ।
5. स्टाफ अफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. गार्ड फाईल।

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव।